

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY



(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

(स्थापना एवं भर्ती अनुभाग-II)

मानू/ई.आर-II/ई.एफ.318/2021-22/451

दिनांक. 30.07.2021

कार्यालय आदेश

विषय: सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार योग्य गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के वर्दी भत्ते की स्वीकृति दिए जाने के संबंध में-आदेश-जारी।

संदर्भ: 1.वित्त विभाग(वित्त मंत्रालय) कार्यालय ज्ञापन सं.19051/1/2017-ई.IV, दिनांक.02.08.2017
2.प्रभारी कुलपति द्वारा दिनांक.26.07.2021 को अनुमोदित।


सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित दरों पर संलग्न सूची के अनुसार दिनांक 01.07.2021 से 93 योग्य (पात्र) गैर-शैक्षिक कर्मचारियों को वर्दी भत्ता स्वीकृत करने की मंजूरी प्रदान की है:

क्र.सं.	वर्ग	पदनाम	प्रति वर्ष राशि(₹.)
1	I	नर्सिंग अधिकारी(@₹.1800/- प्रति माह)	₹.21,600/- (1800x12)
2	II	वाहन चालक	₹. 5,000/-
3	III	चिकित्सा अधिकारी/ लैब तकनीकज्ञ/ एक्स-रे तकनीकज्ञ/ बहुकार्यन स्टाफ (कार्यालय परिचारक/ छात्रावास परिचारक/ कार्यशाला परिचारक/ छात्रावास/ किचन परिचारक	₹. 5,000/-

2. इसके अतिरिक्त, वर्दी भत्ते की पात्रता इस शर्त के अधीन होगी कि संबंधित कर्मचारी के प्रमुख/प्रभारी वित्त एवं लेखा प्रभाग तथा स्थापना एवं भर्ती अनुभाग- II को भेजी जाने वाली मासिक उपस्थिति पर प्रमाणित करें, कि कर्मचारी उपस्थिति के विवरण के अंतर्गत आने वाली अवधि के दौरान नियमित रूप से वर्दी पहने हुए था।

3. इसलिए, उपरोक्त सभी पात्र गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को भुगतान जारी करने के लिए **11 अगस्त, 2021** को या उससे पहले संबंधित प्रमुखों/प्रभारी द्वारा विधिवत प्रमाणित एक वचनपत्र वित्त एवं लेखा अनुभाग को जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

//आदेशानुसार//


सहायक कुलसचिव
स्थापना एवं भर्ती अनुभाग-II

संलग्नक: i) 93 योग्य गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की सूची

ii) वचनपत्र

प्रति:-

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी कार्यालय
2. वित्त एवं लेखा अनुभाग
3. सभी संकाय/विभागों/केन्द्रों/संस्थानों/अनुभागों आदि के विभागाध्यक्ष
4. सभी योग्य गैर-शैक्षिक कर्मचारी
5. निदेशक, सीआईटी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।